राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांकः– एफ 10 (17)/प्राशिनि/ई–1/सी–1/2011/6123-6157 दिनांकः– 27-5-2011

प्रधानाचार्य,
राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
.....

संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा मण्डल/
टी.टी.सी.एवं एल.आर.डी.सी.,
जोधपुर।

प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,
.....

कार्यालयाध्यक्ष,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

विषयः– अग्रिम अध्ययन की अनुमति हेतु प्रेषित आवेदन पत्रों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तकनीकी शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक प.सं. 8(11)त.शि./2006 दिनांक 04.04.11 द्वारा अग्रिम अध्ययन की अनुमति दिये जाने हेतु नीति का निर्धारण किया गया है। जिसकी प्रति समस्त पोलिटेक्निक/महिला पोलिटेक्निक संस्थानों को पृष्ठांकित की गयी है। तकनीकी शिक्षा विभाग के इस परिपत्र की एक प्रति पुनः संलग्न कर लेख है कि आप द्वारा पूर्व में प्रेषित सभी आवेदन पत्रों का इस परिपत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के अन्तर्गत परीक्षण कर नये सिरे से प्रस्ताव तैयार करवावें।

निदेशालय द्वारा सूचित किये जाने पर निर्धारित तिथि को पत्र वाहक के साथ निर्देशित कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

(100)

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

प.स.8(11)त.शि/2006

जयपुर,दिनांक 4 अप्रेल 2011

परिपत्र

विषयः– अगिम अध्ययन की अनुमति दिये जाने हेतु निर्धारित नीति

तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षको को उच्च अध्ययन हेतु विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुमति के संबंध में निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते है:–

1. उच्च अध्ययन हेतु अनुमति चाहने वालों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्राप्त आवेदनों का निस्तारण मैरिट के आधार पर किया जावेगा, ताकि शिक्षकों को उच्च अध्ययन की अनुमति दिये जाने के साथ ही अध्यापन कार्य का सुचारू संचालन संभव हो सके।

2. प्राप्त आवेदनों का निस्तारण विषयवार संवर्गवार (वेतन श्रृंखलावार) शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

3. किसी विशिष्ट वेतन श्रृंखला में एक वर्ष में एक विषय के पदस्थापित शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत शिक्षकों को नियमित अध्ययन की अनुमति राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन की जा सकेगी।

4. अंशकालीन आधार पर उच्च अध्ययन की अनुमति छात्रों की शिक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जायेगी।

5. पार्ट टाईम अध्ययन की अनुमति की अवस्था में अवकाश केवल परीक्षा के दिनों के लिए ही राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा।

6. उच्च अध्ययन हेतु दी गई अनुमति को किसी विशिष्ट स्थान पर पदस्थापन का आधार नहीं बनाया जायेगा तथा इस अवधि में प्रशासनिक आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण किये जाने की अवस्था में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

7. जिस संस्थान में प्रवेश लेना चाहते है उस संस्थान में प्रवेश होने पर ही उक्त अनुमति मान्य होगी।

8. पाठ्यक्रम कार्मिक कार्य से संबंधित/उपयोगी तथा मान्यता प्राप्त होना चाहियें।

Further Study Lettr

13/4

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
JAIPUR
R. R. No 3418
DATE 19/4/11

(99)

9. स्वंयपठी आधार पर अध्ययन की सुविधा कार्मिक के पदस्थापन स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिए। कक्षाएं कार्यालय समय में न होकर अन्य समय में आयोजित होनी चाहियें।

10. प्रवेश होने के उपरान्त प्रवेश का प्रमाण अन्यथा प्रवेश नहीं होने/नहीं लेने की सूचना विभाग को 30 दिवस में प्रेषित की जावें। क्योंकि अनुमति सत्र विशेष के लिए ही मान्य होगी।

11. परीक्षा अवधि के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

12. इस अनुमति का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

13. अग्रिम अध्ययन की अनुमति देने के पश्चात् भी प्रशासनिक कारणों से कार्मिक का स्थानान्तरण किया जा सकेगा, इसके लिये अध्ययन अनुमति का उदाहरण पेश नहीं किया जायेगा।

14. अग्रिम उच्च अध्ययन का आवेदन प्राचार्य के माध्यम निर्धारित प्रकिया अपनाते हुये निदेशक तकनीकी शिक्षा को भिजवाया जायेगा।

इन शर्तो के अतिरिक्त कार्मिक (क–3) जांच विभाग ने भी उनके परिपत्र कमांक प. 9(5)(30) कार्मिक/क–3/जांच/2004 दिनांक 18.11.2006 के द्वारा उच्च अध्ययन/तकनीकी प्रशिक्षण/पाठ्यकम इत्यादि में अध्ययन करने के संबंध में निम्न शर्तो के अध्याधीन अनुमति दिये जाने की शर्तों का उल्लेख किया है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

6. उच्च अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और प्रशासनिक कारणों से उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

7. उच्च अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

8. उच्च अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की सम्बन्धित संस्थान जहॉ वह अध्ययन कर रहा है में उपस्थिति का प्रतिशत यदि कम होता है, तो उसके लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

11. नीति का कियान्वयन निदेशक तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर स्तर पर किया जायेगा।

12. निदेशक द्वारा प्रतिवर्ष इसका कलेण्डर तैयार करवाया जायेगा तथा कलेण्डर की सूचना सभी संबंधित को देना सुनिश्चित करते हुए आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। इसकी स्वीकृति निदेशालय तकनीकी शिक्षा जोधपुर के स्तर से जारी की जावेगी।

13. अग्रिम उच्च अध्ययन की अनुमति दिये जाने के संबंधित रजिस्टर का संधारण, निदेशालय, तकनीकी शिक्षा जोधपुर के स्तर पर किया जायेगा।

14 पालिटेक्निक के सभी प्राचार्यगण नीति की सूचना सभी सम्बन्धित को देंगें।

(एस.के.श्रीमाली)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा जोधपुर।
5. प्रधानाचार्य राजकीय पोलिटेक्निक
6. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

उपशासन सचिव त.शि

Further Study Lettr